

कार्यालय:- सिविल सर्जन-सह-सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा।

पत्रांक 355 (NCD)/गोड्डा, दिनांक 27/05/25

प्रेषक:-

सिविल सर्जन-सह-सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
गोड्डा।

विषय:- गोड्डा जिला के Website पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA-2003) के प्रावधानों का प्रदर्शन किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड, राँची के पत्रांक 375/NTCP/2024-466(MD) दिनांक 21.05.2025 के आलोक में सभी जिलों के Website पर COTPA-2003 के प्रावधानों (Rules & Regulation) एवं भारत सरकार द्वारा तंबाकू को छोड़ने में मदद हेतु जारी **National Tobacco Quit Help Line Number 1800-11-2356** एवं **COTPA-2003** के अनुपालन से संबंधित साईनेज के प्रारूप का प्रदर्शन Website के होम पेज पर प्रमुखता से किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम से संबंधित आदेश/निर्देश Website पर Update किया जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त

विश्वासभाजन

Atsika
27.5.25
सिविल सर्जन-सह-सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा।
Anurag
27/05/25

ज्ञापांक 355 (NCD)/गोड्डा, दिनांक 27/05/25

- प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन0एच0एम0, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: जिला नोडल पदाधिकारी, एन0टी0सी0पी0 सेल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0टी0सी0पी0, झारखंड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : उपायुक्त, गोड्डा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Atsika
27.5.25
सिविल सर्जन-सह-सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा।
Anurag
27/05/25